न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 48/2022
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/83

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

पंजाब नेशनल बैंक,
शाखा बॉसवाडा,

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री नवीन कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द (ऋणी)
   (अ) 532, शारदा नगर वार्ड नं. 6 तहसील एवं जिला बांसवाडा
   (ब) प्लॉट नं. 18 तिरूपती नगर, उदयपुर रोड़, जानावारी, बांसवाडा जिला बांसवाडा
2. श्री गिरीश कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द (ऋणी)
   (अ) 532, शारदा नगर वार्ड नं. 6 तहसील एवं जिला बांसवाडा
   (ब) प्लॉट नं. 18 तिरूपती नगर, उदयपुर रोड़, जानावारी, बांसवाडा जिला बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 06–09–2023

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस उदयपुर की ओर से श्री हिरेन पटेल एड्वोकेट ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा बॉसवाडा ने 1– श्री नवीन कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द (ऋणी) 2 – श्री गिरीश कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द (ऋणी) को दिनांक 19–10–2015 को राशि रुपया 21,00,000 का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर अप्रार्थीगण के खाता संख्या 12866015004382 दिनांक 30–06–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते दिनांक 31.07.2022 तक कुल बकाया राशि 20,66,232.[illegible] दिनांक 31.07.2022 तक व इसके पश्चात् राशि मय भविष्य का व्याज लागू दर से [illegible] खर्चा [illegible] वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। अप्रार्थी द्वारा सिक्योरीटी के रुप में [illegible] सम्पत्ति जिसका [illegible] श्री नवीन कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द व श्री गिरीश कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय सम्पत्ति मकान नं.18 डी ब्लॉक, जानावारी–बी, सर्वे नंबर 276, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

जो गाँव जानावारी, तहसील एवं जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। **जिसके पूर्व में रोड, पश्चिम में प्लॉट नं.41, उत्तर में प्लॉट नं. 19, दक्षिण में अन्य भूमि** स्थित है। उपरोक्त रहन रखी गई अचल सम्पत्ति जिसका ऋणी ने करार कर ऋण राशि अदायगी हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

- प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 04–08–2022 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य निष्पादित बंधक करार है।

- प्रकरण दिनांक 02–12–2022 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गए। दिनांक 27–01–2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुए। तत्पश्चात् आज पेशी दिनांक तक अप्रार्थीगणो ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने एवं बकाया ऋण राशि जमा कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने समय चाहा। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगणो को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मद्देनजर अवसर प्रदान किये किन्तु अप्रार्थीगण ऋण राशि जमा करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे है, न ही अप्रार्थीगणो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है।

- आज दिनांक 06–09–2023 को अप्रार्थीगणो का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अप्रार्थीगणो द्वारा ऋण राशि जमा करा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एक और अन्तिम अवसर प्रदान करने निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि **पंजाब नेशनल बैंक शाखा बॉसवाडा ने 1– श्री नवीन कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द (ऋणी) 2 – श्री गिरीश कुमार हरियाणी पिता श्री धर्म चन्द (ऋणी) को दिनांक 19–10–2015** को राशि **रुपया 21,00,000** का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर अप्रार्थीगण के खाता संख्या 12866015004382 दिनांक 30–06–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। [illegible] दिनांक 31.07.2022 तक कुल बकाया राशि 20,66,232.86 रू. एवं दिनांक 31.07.2022 तक व उसके पश्चात् [illegible] भविष्य का ब्याज लागू दर से मय अदत्त खर्चो सहित की वसूली के पूर्ण भुगतान [illegible] श्रीमान् न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थीगणो को पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है किन्तु अप्रार्थीगणो द्वारा आज दिनांक तक ऋण राशि जमा करा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:06 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणो को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है, किन्तु अप्रार्थीगण ऋण राशि जमा करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अब और अवसर दिया जाना उचित प्रतित नही होता है। **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस उदयपुर** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार योग्य है एवं बैंक द्वारा अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने पर सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात पंजाब नेशनल बैंक, बॉसवाडा को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 06-09-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:06 IST
Reason: SelfAttested